न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—07 / 2019 / 225 (2019 / 00007)

1. रामनाथ पुत्र तेजू, जाति जाट, निवासी ग्राम करांटी, तहसील भिनाय, जिला अजमेर ।
2. श्रीमती रसाल देवी पुत्री स्व0 उगमा, जाति जाट, नि0 ग्राम करांटी, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. देवकरण पुत्र छगना,
2. छोटू पुत्र तेजू,
3. छोटू पुत्र हीरा,
4. गिरधारी पुत्र सुखदेव,
5. रिया पुत्री सुखदेव,
6. शांति पुत्री सुखदेव,
7. भागचन्द पुत्र पन्ना,
8. गोपाल पुत्र मिश्रीलाल,
9. गजराज पुत्र मिश्रीलाल,
10. प्रभू पुत्र मिश्रीलाल,
11. भोली पत्नि कल्याण,
12. मिठू पुत्र कल्याण,
13. कैलाश पुत्र कल्याण,
14. राजू पुत्र कल्याण,
15. प्रेम पत्नि श्रवण,
16. माया पुत्री श्रवण,
    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम करांटी, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
17. कालू पुत्र श्रवण नाबालिग जरिये वलिया व प्राकृतिक सरंक्षिका माता स्वंय प्रेम पत्नि श्रवण,
18. रूकमा उर्फ रूकमणी पत्नि मांगीलाल,
19. ब्रहमा पुत्र मांगीलाल,
20. रामकुंवार पुत्र सुखदेव,
21. हरनाथ पुत्र सुखदेव,
    समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम करांटी, तह0 भिनाय, जिला अजमेर ।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर ।
23. उप पंजीयक पंजीयन कार्यालय, भिनाय, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, दिनांक 15.5.2018 अंतर्गत प्रकरण संख्या 52 / 2016.

उपस्थितः—

1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 21 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 22 व 23.

निर्णय

दिनांकः— 02.11.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के आदेश दिनांक 15.5.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलांटस द्वारा जवाब आवेदन पत्र के साथ काउन्टर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.5.2018 के अनुसार प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत् अधी0न्याया0 द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया । अधी0न्याया0 इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि ग्राम करांटी तहसील भिनाय के खाता संख्या 160/161 खसरा नंबर 667, 679, 687, 687/3411, 748, 849, 897, 898 कि जिसमें 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 का एवं 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 2 का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 से 21 का बमुताबिक वर्किंग जमाबंदी के अनुसार है, जिसमें से अपीलांट संख्या 2 के द्वारा उसके 1/3 हिस्से की भूमि कि जिसके वर्तमान खसरा नंबर 667, 679, 687, 748, 849, 2306 को जरिये पंजीबद्ध हक त्याग पत्र दिनांक 3.5.2013 के अनुसार अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया । इस प्रकार वर्तमान खाता संख्या 160/161 जिसमें 2/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 से 21 का है । इसी प्रकार वर्तमान खसरा नंबर 897 व 898 जिसमें अपीलांट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अपीलांट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 21 का 1/3 हिस्सा तथा खाता संख्या 105/109 के खसरा नंबर 752, 1809 व 1810 जिसमें भी अपीलांट संख्या 1 का 1/3, अपीलांट संख्या 2 का 1/3 एवं रेस्पो0 संख्या 1 से 21 का 1/3 हिस्सा है इसी प्रकार खाता संख्या 107/110 के खसरा नंबर 2306 गै0मु0 चाह में भी उक्तानुसार हिस्सा तथा खाता नंबर 109/112 खसरा नंबर 737 जिसमें भी उक्तानुसार तथा खाता संख्या 159/160 खसरा नंबर 641/3405, 823/3423 एवं खसरा नंबउर 824 जो कि आवंटित भूमि है जिसमें अपीलांट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा तथा इसी खाता संख्या 159/160 के अन्य खसरा नंबर 641, 776, 1340, 1341, 1672, 1673 एवं 1674 कि जिसमें भी 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 का एवं अपीलांट संख्या 2 का 1/3 हिस्सा तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 21 का 1/3 हिस्सा है एवं इसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट संख्या 1 के द्वारा जवाब के साथ काउन्टर क्लेम अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 के आवेदन पत्र की सीमा तक ही आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया परन्तु अपीलांट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आवेदन पत्र बाबत् कोई आदेश पारित नहीं किया है जबकि अधी0न्याया0 को अपीलांट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आवेदन पत्र बाबत् भी

आदेश पारित करना चाहिये था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प के दौरान अपीलांटस को सूचित किये बिना अपीलांटस के अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में पारित किया है जबकि अपीलांट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को पाबंद किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था । रेस्पो0 संख्या 2 छोटू पुत्र तेजू जो कि हीरा के गोद चला गया था, गोदी पुत्री है जो कि उक्त अपील के अनुसार रेस्पो0 संख्या 3 है तथा रामनाथ पुत्र बख्तावर नाम का कोई व्यक्ति नही है बल्कि अपीलांट संख्या 1 रामनाथ पुत्र तेजू ही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.5.2018 के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1 देवकरण का आवेदन पत्र धारा 212 निरस्त किये जाने की हद तक यथावत् रखा जावे तथा अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आवेदन पत्र धारा 212 को स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश राजस्व कैम्प के दौरान अपीलांटस को बिना सूचित किये एवं अपीलांटस के अधिवक्ता की गैर उपस्थिति में पारित किया है जिससे अपीलाधीन आदेश की तत्समय जानकारी नही हो सकी थी । दिनांक 26.12.2018 को रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांटस के शांतिपूर्ण कब्जे में वर्तमान राजस्व रिकार्ड के गलत इद्रांज के आधार पर दखल करने की धमकी दी जिस पर अपीलांटस द्वारा उनके अधिवक्ता से दिनांक 27.12.2018 को संपर्क कर प्रकरण की कार्यवाही की जानकारी चाही जिस पर दिनांक 27.12. 2018 को ही अपीलांटस के अधिवक्ता द्वारा अधी0न्याया0 की पत्रावली देखकर बताया कि रेस्पो0 संख्या 1 का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है तथा अपीलांटस के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम आवेदन पत्र को बिना आदेश के फैसल कर दिया है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन पेश किया जिस पर दिनांक 27.12. 2018 को ही प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । सर्वप्रथम हम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अधी0न्याया0 की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में निर्णित किया है किन्तु उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने के संबंध में अपीलांटस को किसी प्रकार का नोटिस अथवा सूचना दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है न ही अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस की उपस्थिति बाबत् कोई अंकन अधी0न्याया0 की आदेशिका दिनांक 15.5. 2018 में है । अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 संख्या 1/प्रार्थी द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत अपीलाधीन भूमियों के संबंध में

प्रस्तुत किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 भी प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी/अपीलांट संख्या 1 रामनाथ द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वादी के वाद का जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 92–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत प्रस्तुत किया गया साथ ही काउन्टर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अपीलाधीन भूमियों के संबंध में प्रस्तुत किया गया जिसमें कथन किया गया उगमा एवं मु0 फूमली की पुत्रियां श्रीमती रसाल है। उगमा की मृत्यु उपरांत अपीलाधीन भूमियों में से खाता संख्या 123 एवं 86 में मु0 फूमली बेवा उगमा का नाम बतौर खातेदार दर्ज हुआ तत्पश्चात् फूमली बेवा उगमा के स्वर्गवास के बाद विरासत नामांतकरण संख्या 711 रसाल पुत्री उगमा के नाम स्वीकृत किया गया है । रसाल के द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र से खाता संख्या 123 व 86 में से अपने हक व हिस्से की भूमियां अपीलांट संख्या 1 रामनाथ पुत्र तेजू के हक में त्याग की गई । उक्त सभी तथ्यों का काउन्टर क्लेम एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र धारा 212 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 15.5.2018 को मात्र वादी/प्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को निरस्त किया गया परन्तु प्रार्थी/अपीलांट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पर कोई निर्णय नहीं दिया गया एवं पत्रावली को अपीलांट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र धारा 212 को बिना निर्णित किये फैसल शुमार कर दिया गया है जो कि अविधिक होकर निरस्तनीय है ।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.5.2018 द्वारा पत्रावली फैसल शुमार किये जाने की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट संख्या 1/अप्रार्थी रामनाथ द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र धारा 212 पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत् आदेश पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 02.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर